संख्या 5 / 2026/ 152/सत्रह-म-2026-17-1099/126/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 2 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2026

विषय- सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना में समस्त वर्गो को भी लाभ दिये जाने हेतु मार्ग- निर्देश में संशोधन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49/ नियो0शा0/ स0म0पा 0ए0सि0यो0/ 2024-25 दिनांक 20.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1616/2024/ 1587/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनॉक 26 सितंबर, 2024 के प्रस्तर 2(4) में योजना क क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन में संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशालय के उपरोक्त पत्र में प्रश्नगत शासनादेश में संशोधन किये जाने के औचित्य के सम्बंध में उल्लिखित है कि "प्रदेश में महिलाओं के नाम कम पट्टे होने व महिलाओं का मत्स्य पालन में रुचि कम होने के कारण योजनान्तर्गत प्रदेश में कम आवेदन प्राप्त होते है, जिससे योजना प्रदेश में पूर्ण रूप से कियान्वित नहीं हो पा रही है, यदि योजना समस्त मत्स्य पलकों पर भी लागू होती है तो ही योजना प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो पाएगी व प्रदेश का मत्स्य उत्पादन अग्रिम वर्षो में आवश्यकतानुसार बढ़ाने में उपयोगी होगी व भारत सरकार/राज्य सरकार की एक ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था को पूरी करने में सहायक होगी । योजना का लाभ समस्त मत्स्य पालक समुदाय को दिए जाने हेतु Deloitte Touche Tohmatsu India LLP द्वारा सुझाव भी दिया गया है। अतः योजनान्तर्गत सभी वर्गो लाभान्वित करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाये जाने के उद्देश्य से संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

3- उक्त के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण का समग्र दृष्टिकोण से परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना में समस्त वर्गो को सन्मिलित किये जाने से मत्स्य उत्पादकता में गुणात्मक सुधार होगा। उक्त तथ्यो के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 1616/ 2024/1587/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनॉक 26 सितंबर, 2024 के प्रस्तर 2(4) में योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है-

शासनादेश का प्रस्तर संख्या	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(4)	योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन: सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम का विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाबों की ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे० हो तथा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो पात्र होंगे। लाभार्थी के चयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त कर जनपदों में निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदनों का रैंडमाईजेशन करते हुए चयन किया जायेगा **तथा लाभार्थी चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी।** 1. ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे धारक, मछुआ समुदाय की अंतोदय, बी.पी.एल. एवं विधवा महिला आवेदक को प्रथम वरीयता । 2. ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे धारक, अन्य महिला आवेदक को द्वितीय वरीयता। 3. निजी तालाब धारक महिला आवेदक को तृतीय वरीयता	योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन: सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम का विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाबों के ऐसे **समस्त** मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे० हो तथा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो पात्र होंगे। लाभार्थी के चयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त कर जनपदों में निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का रैंडमाईजेशन करते हुए चयन किया जायेगा तथा लाभार्थी चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी। 1.ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे धारक, मछुआ समुदाय की अंतोदय, बी.पी.एल. एवं विधवा महिला आवेदक को प्रथम वरीयता । 2.ग्राम सभा के तालाबों के समस्त पट्टे धारक, आवेदकों को द्वितीय वरीयता। 3.निजी तालाब धारक समस्त आवेदक को तृतीय वरीयता
5	(5) इकाई लागत व फण्डिंग पैटर्न:- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे0 के तालाब में 2 हार्स पावर के एक क्याड पैडिल व्हील एरेटर एवं 1.00 हे0 या उससे	(5) इकाई लागत व फण्डिंग पैटर्न:- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे0 के तालाब में 2 हार्स पावर के एक क्याड पैडिल व्हील एरेटर एवं 1.00 हे0 या उससे

बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरेटर पर एक लाभार्थी अनुदान प्राप्त कर सकता है। **एरेटर सिस्टम की प्रति इकाई लागत रु0.0.50 लाख होगी,** जिसमे लाभार्थी अंश का धनराशि (सामान्य महिला मत्स्य पालक द्वारा योजना की इकाई लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति महिला मत्स्य पालक द्वारा 40% धनराशि) लाभार्थी स्वयं के संसाधन से अथवा बैंक ऋण लेकर वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामान्य महिला मत्स्य पालक को परियोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की **धनराशि अर्थात ₹ 0.25 लाख प्रति इकाई** सामान्य महिला मत्स्य पालक को एवं अनुसूचित जाति के महिला मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान **अर्थात ₹ 0.30 लाख प्रति इकाई देय होगा।** परियोजना का फन्डिंग पैटर्न निमन्वत है:	बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरेटर पर एक लाभार्थी अनुदान प्राप्त कर सकता है। **एरेटर सिस्टम की प्रति इकाई लागत रु0.0.50 लाख होगी** जिसमे लाभार्थी अंश का धनराशि (समस्त मत्स्य पालकों द्वारा योजना की इकाई लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति महिला/पुरुष/अन्य मत्स्य पालक द्वारा 40% धनराशि) लाभार्थी स्वयं के संसाधन से अथवा बैंक ऋण लेकर वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामान्य महिला/पुरुष/ अन्य मत्स्य पालक को परियोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की **धनराशि अर्थात ₹ 0.25 लाख प्रति इकाई** एवं अनुसूचित जाति के महिला/पुरुष/अन्य मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान **अर्थात ₹ 0.30 लाख प्रति इकाई देय होगा।** परियोजना का फन्डिंग पैटर्न निम्नवत है:

धनराशि ₹ लाख मे						
क्र	मद	लाभार्थी वर्ग	इकाई लागत	अनुदान प्रतिशत	लाभार्थी अश	अनुदान धनराशि
1	सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापन	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.50	50	0.25	0.25
		अनुसूचित जाति वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.50	60	0.20	0.30
2	प्रशासनिक व्यय (योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवन हेतु) @2%	जनपदीय एवं मडलीय कार्यालय तथा निदेशालय हेतु		100	0.005	0.005

धनराशि ₹ लाख मे						
क्र	मद	लाभार्थी वर्ग	इकाई लागत	अनुदान प्रतिशत	लाभार्थी अश	अनुदान धनराशि
1	सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त मत्स्य पालक	0.50	50	0.25	0.25
		अनुसूचित जाति वर्ग के समस्त मत्स्य पालक	0.50	60	0.20	0.30
2	प्रशासनिक व्यय (योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवन हेतु) @2%	जनपदीय एवं मडलीय कार्यालय तथा निदेशालय हेतु		100	0.005	0.005

3- अतएव इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना" के संचालन हेतु उपर्युक्त संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 02-02-2026 14:17:41

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 57 / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
10. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।